UPME010090052026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मेरठ।

पीठासीन अधिकारी : अरविन्द कुमार मिश्रा–द्वितीय
(उच्चतर न्यायिक सेवा)

<u>प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र सं0–2549/2026</u>

सागर पुत्र करम खां, निवासी–म0सं0–130 औरंगशाहपुर डिग्गी, थाना–मेडिकल, जिला–मेरठ।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0राज्य .....विपक्षी

मुकदमा अपराध सं0–207/2026
अं0धारा–109(1),352,351(3)
बी0एन0एस0
थाना–मैडिकल, जनपद–मेरठ।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से.....श्री अखिलेश प्रकाश, विद्वान अधिवक्ता
उ0प्र0राज्य की ओर से..... श्री के0के0चौबे, डी0जी0सी0(क्रिमि0) एवं
श्री अश्वनी गोयल, सहा0डी0जी0सी0(क्रिमि0)
वादी की ओर से..... श्री आर0पी0सिंह, विद्वान अधिवक्ता

<u>दिनांक–02.07.2026</u>

1. यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र प्रार्थी/अभियुक्त सागर की ओर से मुकदमा अपराध सं0–207/2026, अं0धारा–109(1),352,351(3) बी0एन0एस0, थाना–मैडिकल, जनपद–मेरठ में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी/अभियुक्त का शपथ पत्र दाखिल है, जिसमें यह कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है। इस अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित नहीं है।

3. पुलिस प्रपत्र में अभियोजन कथन संक्षेप में यह है कि वादिनी के पति जावेद ने अपने सगे मामा करम खां से करीब तीन माह पूर्व उनका मकान खरीद कर बैनामा अपने नाम कराया था। उसके बाद उसके पति ने करम खां के बच्चों सागर व कैफ से मकान खाली करने को कहा तो मकान खाली नहीं किया। दिनांक 19.05.2026 को रात्रि समय करीब 20.10 बजे कैफ व सागर उसके घर के सामने आये और मकान खाली करने को लेकर गाली–गलौज की जब उसके पति ने विरोध किया तो दोनों लोगों ने एक राय होकर जान से मारने की नीयत

से उसके पति पर चाकू से पेट में कई बार वार किये, जिससे उसके पति वही गिर गये।

4. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र तथा अपने तर्क में यह कथन किया गया है कि :–

- प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है तथा उसने कोई अपराध नहीं किया है।
- उसे मौके से गिरफ्तार नहीं किया गया है।
- पूर्व में भी मकान के विवाद के कारण वादिनी व उसके पति व उनके भाइयो ने प्रार्थी/अभियुक्त पक्ष के विरूद्ध दिनांक 04.06.2014 को मारपीट की थी, जिसकी रिपोर्ट संबंधित थाने में की थी।
- कथित मकान उसके पिता को उनकी माता के द्वारा वारिस में मिला था, जिसपर वादिनी के पति शुरू से उसे हड़पना चाहते हैं।
- प्रथम सूचना रिपोर्ट में चोटहिल पर कई बार वार किये जाने का कथन किया गया है, जबकि चिकित्सीय आख्या में एक चोट आयी है।
- चोटहिल को आयी चोट साधारण प्रकृति की है तथा प्राणघातक नहीं है।
- कथित घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है।
- तद्नुसार प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गयी है।

5. अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर कथित घटना कारित की गयी है। अभियुक्त की भूमिका व कारित अपराध की प्रकृति को देखते हुए अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाए।

6. मैंनें प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता, वादी के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्रों के निस्तारण के सम्बन्ध में दिये गये दिशा–निर्देशों के आलोक में पत्रावली पर उपलब्ध केस–डायरी व अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया।

7. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि उसकी पकड़ने की भूमिका दर्शायी गयी है, जबकि सह–अभियुक्त द्वारा चाकू से प्रहार किया गया है।

8. अभियोजन की ओर से तर्क दिया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अन्य सह–अभियुक्त के साथ मिलकर कथित घटना कारित की गयी है। मामले में विवेचना प्रचलित है। अपराध गंभीर प्रकृति का है।

9. प्रस्तुत मामले में प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है। उसके विरूद्ध वादिनी के पति को पकड़ने व सह–अभियुक्त द्वारा उसपर जान से मारने की नीयत से चाकू से प्रहार किये जाने के आरोप हैं।

10. दौरान विवेचना पुलिस द्वारा सह–अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिसकी निशांदेही पर कथित घटना में प्रयुक्त एक रक्त–रंजित चाकू की बरामदगी की गयी है।

11. केस डायरी में मजरूब के बयान का विवरण दिया गया है, जिसमें मजरूब ने कथन किया है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने उसके हाथ पकड़ लिये और सह–अभियुक्त ने जान से मारने की नीयत से चाकू से उसके पेट में वार किये।

12. केस डायरी में उपलब्ध चश्मदीद साक्षी श्रीमती आरती सागर व समीरूद्दीन द्वारा अपने–अपने बयानों में प्रार्थी/अभियुक्त की कथित घटना में संलिप्त होने का कथन किया गया है।

13. स्वयं प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि उसकी भूमिका मजरूब को पकड़ने की थी। प्रकरण में अभी विवेचना प्रचलित है।

14. केस डायरी के पर्चा सं0–9 में यह अंकित है कि प्रार्थी/अभियुक्त सागर उपरोक्त अपने मसकन पर मौजूद नहीं मिला, बादस्तूर फरार चल रहा है।

15. उपरोक्त के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि प्रार्थी/अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है या उसके विरूद्ध अभियोग उसे पुलिस से गिरफ्तार कराकर अपमानित करने से आशय से लगाया गया है।

16. प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध अधिरोपित आरोप में अधिकतम दण्ड 10 वर्ष का प्रावधानित है। मामला गंभीर प्रकृति का है।

17. अतः मामले के उपरोक्त समस्त तथ्यों, परिस्थितियों तथा अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए, प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र को स्वीकार किये जाने का कोई न्यायोचित एवं न्यायसंगत आधार प्रकट नहीं होते हैं। तद्नुसार प्रार्थी/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त सागर द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांकः 02.07.2026

(अरविन्द कुमार मिश्रा–द्वितीय)
सत्र न्यायाधीश,
मेरठ।
I.D.No.U.P.-6030

S.Rastogi (P.A.)